

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 153 / 2022

दिनांक :18.01.2022

डॉ. नीलम कुमारी (RJ1193), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) को दिनांक 17.01.2022 से 31.01.2022 तक 15 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 16.01.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. कुमारी की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 18.01.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4) / 58 / 2017 / 412

दिनांक :18.01.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 235 दिनांक 10.01.2022 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. नीलम कुमारी (RJ1193), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।


सहायक रजिस्ट्रार